# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 44 / 2020 प्रा.पत्र / 2020 | 16.06.2020 | 11.07.2025 |

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी ई.ई–15, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स राजेश कुमार अग्रवाल ई.ई–15, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

2–मैसर्स राजेश कुमार अग्रवाल ई.ई–15, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक। पिनकोड–304021

3–श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा निवासी जोशी बाबा की ढाणी, भीलपुरा, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स विनायक रसगुल्ला भण्डार जोशी बाबा की ढाणी, भीलपुरा, जयपुर। पिनकोड–303801

4– मैसर्स विनायक रसगुल्ला भण्डार जोशी बाबा की ढाणी, भीलपुरा, जयपुर। पिनकोड–303801

.....अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2– अप्रार्थी सं. 1 श्री राजेश कुमार अग्रवाल व 2. श्री दीपक कुमार शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 11/7/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2019 को समय दोपहर 02:00 पी.एम. पर मैसर्स राजेश कुमार अग्रवाल ई.ई–15, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राजेश कुमार अग्रवाल ई.ई–15, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर खादय पदार्थ सोन पपड़ी, रसगुल्ला, नमकीन व रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड) का कारोबार करते हुए मिला। श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की गोदाम में कागज के 6 कार्टून में 1–1 किलोग्राम पैक के लगभग 108 पैकेट पैक्ड अवस्था में **रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा पाया, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के 6 कार्टून में रखे 1–1 किलोग्राम के लगभग 108 पैक्ड अवस्था में **रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड)** जिसके बैच नं0 10 एवं पैकिंग की दिनांक 13 अक्टूबर 2019 थी को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 1–1 किलोग्राम के 4 पैकेट पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड)** 4 पैकेट प्रत्येक 1–1 को ज्यों का त्यों 1 पैकेट बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर,नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2428 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2428 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल मैसर्स राजेश कुमार अग्रवाल ई.ई–15, दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। उक्त विक्रेता को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स विनायक रसगुल्ला भण्डार जोशी बाबा की ढाणी, भीलपुरा, जयपुर का का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2656 दिनांक 11.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/2832/एक्ट/2019/2361 दिनांक 28.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zl)(C)(i) के अनुसार

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

**मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रसगुल्ला (विनायक ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक